



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0
पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 14/XXXVI (3)/2020/75(1)/2019
देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019’ पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 04 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन)
अधिनियम, 2019**

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा किन्तु अधिनियम की धारा 122-ग की उपधारा (10) एवं धारा 198 की उपधारा (10) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 122-ग का 2.
संशोधन

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 122-ग की उपधारा (9) के पश्चात एक नई उपधारा (10) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

“(10). दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 49) में परिभाषित “सन्दर्भित दिव्यांगजन” को आवासन के निमित्त भूमि आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा तथा ऐसे आवंटन में संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।”

धारा 154 का 3.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 154 में-

(क) उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्-

“(2) तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए किसी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म को किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन-साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण 1:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ‘कुटुम्ब’ का अर्थ है, अंतरिती स्वयं, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा अव्यस्क बच्चे और जहां अंतरिती अव्यस्क है, उस बालक या बालिका के माता-पिता भी।

स्पष्टीकरण 2:- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ‘अंतरण’ से उत्तराखण्ड राज्य के जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू-भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि का अंतरण अभिप्रेत है।”

(ख) उपधारा (2-क) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्-

“(2-क). तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण तथा पर्यटन के लिए किसी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म को किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन-साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का

अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'अंतरण' से उत्तराखण्ड राज्य के जिला ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार का सम्पूर्ण भू-भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि का अंतरण अभिप्रेत है।"

धारा 156 का 4.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में—

(क) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(एक) मूल अधिनियम की धारा 157 (क) तथा धारा 157 (ख) में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कृषि बागवानी, जड़ी-बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों एवं सुगन्धित पुष्पों, मसालों का उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन तथा पशुधन प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं फल प्रसंस्करण, चाय बागान एवं प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसी संस्था, समिति, न्यास, फर्म, कम्पनी एवं स्वयं सहायता समूह को पट्टे पर शर्तें निर्धारित करते हुए पट्टा किराया सहित अधिकतम 30 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। पट्टा किराया में नगद, उपज अथवा उपज के किसी अंश को सम्मिलित किया जा सकेगा।”

(ख) उपखण्ड (ग्यारह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(ग्यारह). उपखण्ड (आठ) में वर्णित विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता/पट्टाधारक तीन माह पूर्व का सकारण नोटिस देकर समस्त भार सहित पट्टे को समाप्त कर सकेगा। पट्टे पर दी गयी भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे तथा दोनों पक्षों के पट्टा अनुबन्ध में भूमि के विशिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने की वस्तुस्थिति की जाँच की जायेगी तथा वार्षिक आधार पर पट्टागत भूमि की संस्तुति की जायेगी। यदि जिलाधिकारी किसी भी स्थिति में भूमि का समुचित उपयोग न किये जाने पर संतुष्ट नहीं है तो वह भूमि का पट्टा भार सहित समाप्त कर सकेगा। पट्टाधारक द्वारा प्रयोजन की आवश्यकतानुसार अधिकतम 30 एकड़ भूमि पट्टे पर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में 30 एकड़ से अधिक भूमि आवश्यकतानुसार पट्टे पर ली जा सकेगी। यदि

पट्टा भूमि के बीच में सरकारी भूमि है तो वह भूमि जिलाधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। पट्टाधारक स्थानीय उत्पादों, सब्जियों, दालों तथा परम्परागत फसलों एवं फलोद्यान उत्पाद को प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करायेगा एवं पट्टे पर ली गयी भूमि के उत्पादों पर विकसित उद्योगों में विशेषज्ञ पदों को छोड़कर स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध करायेगा। स्थानीय उत्पादों के वितरण, विक्रय एवं संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जायेगा।”

धारा 198 का 5.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (9) के पश्चात एक नई उपधारा (10) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

“(10) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 49) में परिभाषित “सन्दर्भित दिव्यांगजन” को कृषि कार्यों के लिए भूमि आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा तथा ऐसे आवंटन में संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।”

निरसन
व्यावृत्ति

- एवं 6. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण और उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 में संशोधन करते हुए सन्दर्भित दिव्यांगजन स्त्रियों की समुचित पूर्विक्ता के साथ सभी सुसंगत योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2- दिव्यांगजनों के आवासन हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) की धारा-122(ग)(9) एवं धारा-198(9) के पश्चात एक नई उपधारा 122(ग)(10) तथा 198(10) का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

3- उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश, विकास कार्य को बढ़ावा देने एवं राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मैदानी क्षेत्रों हेतु भूमि क्रय की सीमा के प्राविधान घोषित किये जाने संबंधी कतिपय प्राविधानों में पर्वतीय क्षेत्रों में शिथिलता लाये जाने के उद्देश्य से एवं चाय बागान एवं प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राविधान विषयक विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।